

FORM NO. III

फर्दअहकाम





(नियम- 26)


अज अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी),सिवाना

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
1. गुलाराम पुत्र चेलाराम		1 कोजाराम पुत्र तगाराम
2. देवली पुत्र पूनमाराम		2 गौतमराम पुत्र तगाराम
3. माफी पुत्री पुनमाराम		3 ज्योत्सना पुत्री तगाराम
जातियान मेघवंशी निवासीयान बेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेर		जातियान मेघवाल निवासीयान बेरानाडी तहसील सिवाना जिला बाडमेर वगैरा (9)
		10 भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

किस्म मुकदमा.....धारा 251A RT Act.

मु0नं0.. 124/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.08.2022	<p>प्रार्थीगण गुलाराम की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री कैलाशपुरी द्वारा विप्राथी कोजाराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 251A RT Act. का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। विप्राथीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (कुसुमलता चौहान) उपखण्ड अधिकारी, सिवाना </p>	
30.09.22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक...09.12.22...को पेश हो।</p>	
09.12.22	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक...09.01.23...को पेश हो।</p>	
09.01.23	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील अभावित। विप्राथीगण के नोटिस रजिस्ट्री अपने के साथ पेश करे, पेश करे पर जारी होकर पत्रावली आर्डर 13.02.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर) </p>	
13-02-2023	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील मय विप्राथी संख्या-1 उपस्थित। निवेदन किया कि उनकी शरन्ते सम्बन्धी समस्या</p>	<p>हमारे सूचीनमा ले जाया के देखे गले पता</p> <p style="text-align: center;">  गुलाराम </p> <p style="text-align: center;">  गुलाराम </p>


 गुलाराम

का समाधान हो गया है)

उन्हें आवागमन हेतु आपसी शजीनामा से रास्ता दिया जा चुका है। अतः वे आवेदन की कार्रवाई जारी नहीं रखना चाहते हैं।

हमने पत्तावली का अवलोकन किया कि प्राथमिक स्वयं आवेदन की कार्रवाई जारी रखने के इच्छुक नहीं हैं।

अतः आवेदन की कार्रवाई इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

पत्तावली कैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)